

आधुनिक युग में असुरक्षित होते बुजुर्ग

सारांश

इस संसार का शाश्वत नियम है कि जिसे भी इस धरती पर जन्म लिया है और अधिक वर्ष तक जीवित रहता है वह वृद्ध अवश्य होता हैं वृद्धावस्था बड़ी भयावह अवस्था है, कोई वृद्ध नहीं होना चाहता फिर भी होना पड़ता है क्योंकि यही शरीरधारियों को अपरिहार्य मृत्यु के निकट ले जाने की सीढ़ी है। वृद्धावस्था को ही देख कर महात्मा बुद्ध का मन उद्वेलित हो उठा था। मगध के राजपथ पर झुक कर चलती हुई एक वृद्धा को देखकर आचार्य चाणक्य ने मजाक में पूछा, “माता जी आप झुककर इस राजपथ पर क्या खोज रही हैं ?” वृद्धा ने उत्तर दिया ‘ऐ मूर्ख क्या तू नहीं जानता कि मेरी जवानी रूपी मोती खो गई है ?’ युवावस्था का स्फूर्तिमान शरीर वृद्धावस्था में शिथिल हो जाता है, शरीर के अंगों की कार्यशीलता क्षीण हो जाती है, ऐसी अवस्था में मनुष्य को दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है कुल मिलाकर वृद्धावस्था, शैशवा के अरुणोदय का सांध्य काल है जो तिमिराच्छादित व भयावह है। आज विज्ञान बड़ी उन्नति कर चुका है, पर अभी तक विज्ञान ने अतनी उन्नति नहीं की है कि वह मनुष्य को अभिशात् वृद्धावस्था से मुक्ति दिला सके। आज के वैज्ञानिक युग में आयुर्विज्ञान अपने चरमोत्कर्ष पर है। इसने बीमारियों से लड़ने और मृत्यु को पीछे ढकेलने के गुण सीख लिए है। परिणामतः मनुष्य की औसत आयु में वृद्धि हो गयी है जिसके कारण वृद्धों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। एक अंग्रेज विचारक पाल वल्लाश ने उम्रदार लोगों की बढ़ती संख्या की समस्या को उम्र भूचाल की संज्ञा दी है। जिस अनुपात में वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही है ठीक उसी अनुपात में उनकी समस्या में भी वृद्धि हो रही है।

मुख्य शब्द : परम्परा वादी दृष्टिकोण, जरन्टोलोजी, वर्चस्व, संवेदनशील, विषाद—वृद्धजन नीति, निराश्रय।

प्रस्तावना

आज की अर्थ—प्रधान व उपभोक्तावादी संस्कृति में वृद्धि अपने को बड़ा दीन—हीन व असहाय समझ रहा है। सुखभाग की महत्वाकांक्षा ने आज के बेटों को बड़ा ही स्वार्थी व निर्दयी बना दिया है। यदि अधिक उम्र के बेटे अधिक धन बटोरने की अतृपत अभिलाषा लिए हुए दिन—रात भाग दौड़ में व्यस्त है तो कम उम्र के बेटे टेलीविजन के रूपहले पर्दे पर धूम—धड़ाके वाला संगीत देखने में व्यस्त है, बूढ़े बाप के पास बैठने का उनके पास समय कहाँ है ? कविवर विवक्षे भटनागर ने ठीक ही कहा है—

“डिस्को के बजते शोर में, बेटों को क्या पता,

बगल के कमरे में उनका बाप लगातार खाँसता ।”

आज के बेटों को बाप के स्वास्थ पर खर्च करने की अपेक्षा पाले गये कुत्ते के बिस्कुट व अपने बच्चे के महंगे विद्यालय में पढ़ाइ करवाने पर खर्च करना अधिक अच्छा लगता है। प्रयाग के महाकुम्भ मेले में आधुनिक श्रवण कुमारों के भी कारनामे दिखे जो तीर्थ कराने के बहाने

अपने बूढ़े माँ-बाप को तीर्थराज प्रयाग की पावन नगरी में लाये तो, पर उन्हें भटकने और दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गयें। कई घरों में कानफाड़ू संगीता बजता रहता है ओर जब वृद्ध का बीमार व अशानत मन शान्ति की अभिलाषा से इस संगीत को बन्द करने को कहता है तो उसे फटकार मिलती है। तिरस्कृत वृद्ध की अंतर्वेदना की चीख-पुकार सुनने वाला कोई नहीं है ओर वह तिरस्कृत तथा उपेक्षाकृत जीवन जीने को बाध्य है। आज के नाभिकीय परिवार में पति-पत्नी और बच्चों के अलावा बूढ़ों का कहीं स्थान नहीं है। कोई बाप इसलिए भी उपेक्षित रहता है क्योंकि उसके पास धन-सम्पत्ति व पेंशन आदि नहीं हैं तो कोई बाप इसलिए भी उपेक्षित रहता है, क्योंकि उसे पास जो भी आल सम्पत्ति है वह सब बेटे के नाम कर दे। मुम्बई शहर के मालाबार हिल स्थित ग्रैण्ड पैराडाइज के आठवें तल पर रहने वाले दलाल दम्पत्ति-76 वर्षीय वामदेव और तारा ने अपने फ्लैट से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके जेब से ग्राप्त सांक्षिप्त पत्र में लिख था— “ हम अपने बेटे और बहू की लगातार झिड़कियों और प्रताड़ना से तंग आकर अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। “ वयोवृद्ध दलाल दम्पत्ति की साक्षा सम्पत्ति तीन करोड़ रुपये की आंकी गयी थी। ऐसे कई वृद्ध अपमान और तिरस्कार की जिन्दगी जीने को बाध्य हैं।

औद्योगीकरण ओर शहरीकरण के फलस्वरूप वृद्धों की मुसीबतों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। कुछ बेटे अपने बच्चों व पत्नी को लेकर शहर में आ बसते हैं और गावों में तकलीफ की जिन्दगी जीने के लिए अपने बूढ़े माँ-बाप को छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि शहरों में निवास कर रहे समृद्ध परिवारों के वृद्ध-वृद्धाओं को भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। परिवार के लोग देर रात तक टी०वी० पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम देखते रहते हैं। सुबह जल्दी उठ नहीं सकते अतः कई घरों में वृद्ध लोगों को समय से चाय-नाश्ता भी नहीं मिल पाता। जिन परिवारों में एक से ज्यादा बहुएँ हैं, वे आपस में देखा-देखी करती हैं। बड़ी बहू सोचती है कि वृद्ध सास-ससुर की सेवा छोटी वाली करे, छोटी वाली सोचती है कि मंझली वाली करे नतीजा ये होता है कि इस देखा-देखी में कोई नहीं करती और वृद्ध लोग अन्दर से कुढ़ते रहते हैं। दिल्ली जैसे महानगरों में इन दिनों वृद्ध दम्पत्तियों की हत्या के मामले बढ़े

शोचनीय स्तर तक बढ़ गये हैं। बेटे अच्छी नौकरियों के चक्कर में अपना नाभिकीय परिवार लेकर बाहर चले जाते हैं और बंगलों में एकाकी जीवन जीने के लिए वृद्धों को छोड़ जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि या तो घरेलू नौकर या पड़ोसी का बेटा किसी दिन वृद्ध दम्पत्ति की हत्या कर सारा सामान लेकर चम्पत हो जाता है। पीढ़ी अन्तराल का भी कुप्रभाव वृद्धों की मानसिक प्रताड़ना का कारण बनता है। वृद्ध लोग एक निर्मल सरिता की तरह होते हैं, जिनके अन्दर का युवावस्था का विकार रूपी मल स्वच्छ हो चुका रहता है। संसार की निस्सारता की अनुभूति उन्हें भलजी प्रकार हो चुकी होती है और वे प्रायः धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में भी केबल टी०वी० लगे रहते हैं, करीब पैतालीस चैनलों पर विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। घर का वृद्ध सुबह-सुबह धार्मिक कार्यक्रम देखना चाहता है। आशाराम बापू या मुरारो बापू का प्रवचन सुनना चाहता है। पर युवावर्ग के लड़के दलेर मेहंदी का शोर-शराबे वालों गीत सुनना चाहते हैं, अतः तुरन्त चैनल बदल दिए जाते हैं। और वृद्ध व्यक्ति मन मसोस कर रह जाता है तब घर वाले उससे और अधिक दूरी बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में वृद्ध जन अपने को बड़ा एकाकी व असहाय समझने लगते हैं।

वृद्धावस्था में न केवल शरीर व उसके विभिन्न अंग कमजोर हो जाते हैं। बल्कि उसका दिमाग भी क्षीण हो जाता है। उसे स्मृति औंग (अल्जीमर्स डिजीज) भी हो जाता है, वह तथ्यों को भूलने लगता है। स्मृति भंग रोग के शिकार वृद्धों की अपेक्षा वृद्धाएँ अधिक होती हैं। यदि परिवार के लोग वृद्धों को समुचित आदर व स्नेह दे तो वे न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वरक्ष रहें। कई लोग ऊबकर वृद्धों को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, लेकिन उसका मन तो उपेक्षित होने के बावजूद भी परिवार वालों के मायावश में बंधा रहता है, और वृद्धाश्रम में भी वह अपने को दुखी ही महसूस करता है।

कई गरीब माँ-बाप सारी मुसीबतें झेलकर बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, बेटा ऊँचे पद पर पहुँच जाता है, किसी हाय-हलो कहने वाली समृद्धकुल की आधुनिका से विवाह कर अच्छे बंगले में रहने लगता है, किन्तु जब इसके वृद्ध माँ-बाप अपने जर्जर शरीर पर चिर दारिद्रेय की छाप लिए हुए बेटे

के पास चैन से रहने के लिए जाते हैं तो वे उसे फूटी आँखों नहीं भाते। बहू-बेटे उन्हें छुपा कर रखते हैं, किसी के समाने पड़ने नहीं देते। बंधन और उपेक्षा की जिन्दगी से ऊबकर बूढ़े माँ-बाप पुनः अपने मूल निवास को लौट आते हैं और असहाय जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार लाखों वृद्ध और वृद्धाएँ दुखी जीवन जीने के लिए बाध्य हैं।

भारतीय सांस्कृति में वृद्धों के कल्याण की शिक्षा

हमारे पूर्वजों को इस बात की चिंता थी कि समाज में वृद्ध वर्ग उपेक्षित न हो वरन् उसे उचित सम्मान दिया जाए, अतः इसलिए उन्होंने कई आचरण संहिताएँ बनायी और शास्त्रों में वृद्धों के प्रति कझ नैतिक नियमों का उल्लेख भी कियां। एक स्थान पर लिखा है –

“पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्व देवता”

अर्थात् पिता के प्रसन्न रहने पर सभी देवता प्रसन्न रहते हैं तो दूसरे स्थान पर लिख है –

“ पितुः अपि माता अधिका गर्भ धारण तोषणात् ॥ ”

अर्थात् पिता से भी बड़ी माँ होती है, जो गर्भ धारण से लेकर बड़े होने तक बेटे-बेटियों का लालन-पालन करती है इसी प्रकार जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है जिससे लोग अपने वृद्ध माता-पिता की उपेक्षा न करें और उन्हें उचित आदर-सम्मान देने के अतिरिक्त उनकी सेवा-सुश्रुषा करते रहें। बालकों और युवा वर्ग को भी वृद्धों की सेवा व सम्मान के लिए प्रेरित करते हुए कहा गया है –

“ अभिवादनषीलस्य नित्यययं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आर्युविद्यायां बलम् ॥ ”

अर्थात् वृद्धों का अभिवादन व उनकी सेवा वाले की आय, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। वृद्ध लोग ज्ञान व अनुग्रह के आधार होते हैं, नई पीढ़ियों उनसे बहुत कुछ सीख कर सफल जीवन-यापन करने लायक बन सकती हैं, इसलिए सभा में उनकी उपस्थिति को आवश्यक बताया गया है। “ न सा सभा, यत्र न सन्ति वृद्धाः ॥ ” अर्थात् वह सभा, सभा नहीं है, जिसमें वृद्ध न हों। इस प्रकार प्राचीन भारतीय सांस्कृति में वृद्धों को आदरणीय स्थान देने व उनका सम्मान तथा सेवा करने की शिक्षा दी गयी है। इस्लामी संस्कृति में भी ज़इफों (वृद्धों) को आदरणीय स्थान प्रदान किया गया है। अंग्रेज विद्वान विलियम

हेजालिट महोदय ने कहा है –

“By desposing all that has preceded us,

We teach others to despise ourself”

अर्थात् जो हमसे पहले हुए हैं, उनको घृणा करके हम आने वाली पीढ़ी को यह सिखाते हैं, कि वे भी हमें घृणा करें। लोगों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। यदि वर्तमान पीढ़ी अपने बूढ़े मा-बाप की सेवा व सम्मान करेगी तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी हम लोगों के बूढ़े होने पर हमारा सम्मान करेगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वृद्ध-कल्याण का प्रयास

वृद्धावस्था को अब विश्व स्तर पर एक सामाजिक, आर्थिक व मानवीय युद्ध माना जाने लगा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के तीसरे वर्ष ही सन् 1948 ई० में अर्जेन्टाईर्ना की पहल पर वृद्धावस्था की समस्याओं पर विचार किया, 1972 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की आर्थिक व सामाजिक समिति ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा किया, 1982 में आस्ट्रेलिया के राजधानी विएना में वृद्धावस्था के बारे में एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा ने वृद्धावस्था के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कार्य योजना को मंजूरी दी, जिसे विएना कार्य योजना के नाम से जाना जाता है। विश्व स्तर पर वृद्धों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने सन् 1999 को वृद्धों के सम्मान में अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध-वर्ष घोषित किया। हमारे देश ने भी सन् 2000 को राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में घोषित किया, इस प्रकार राष्ट्रसंघ भी वृद्धों के कल्याण के लिए कृत संकल्प हो गया।

भारतवर्ष में वृद्धों के लिए कल्याणकारी उपाय

हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है, अतः सभी नागरिकों के कल्याण का उपाय करना इसका नैतिक उत्तरदायित्व है, हमारे संविधान के भाग-4 में राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त को दर्शाया गया है। अन्त्येष्टि-41 में कहा गया है कि राज्य वृद्धों के कल्याण की व्यवस्था करेगा। चूँकि राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धान्त मात्र निर्देश ही हैं। वे अवश्य पालनीय आदेश नहीं हैं। अतः उनके अनुपालन के लिए राज्य पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इनका अनुपालन सर्वथा राज्य की सदिच्छा पर निर्भर करता है। यही कारण है कि अब तक जो भी कल्याणकारी योजनाएँ बनायी गयीं हैं, उनमें वृद्धों की ओर सबसे कम ध्यान दिया गया है। गोद लेने और भरण-पोषण सम्बन्धी 1956 के कानून में वृद्धों के लिए विधिक रूप से संरक्षण की व्यवस्था की गयी।

Anthology : The Research

आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े बेटे व बेटियों से अपने माता-पिता को धन देने की बात करी गयी। कल्याण मंत्रालय देश में वृद्धों के कल्याण के लिए उत्तरदायी हैं। सरकार ने जनवरी 1999 में वृद्ध जनों के बारे में राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी। इनमें सरकारी संस्थाओं व गैर-सरकारी अभिकरणों के बीच अन्तक्षेत्रीय सहयोग तथा सहभागिता का ढाँचा उपलब्ध कराया गया है। इस नीति के तहत सरकार को हस्तक्षेप के अनेक क्षेत्रों जैसी वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार आवास कल्याण, जानमाल की सुरक्षा और जनसंचार माध्यमों की भूमिका की पहचान कर ली गयी है। वृद्धों के बारे में बनायी गयी राष्ट्रीय नीति के प्रावधानों के कार्यन्वयन हेतु मई 1999 में 'राष्ट्रीय वृद्ध जन परिषद' की स्थापना की गयी और इस परिषद को पूर्वत्त नीति को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। परिषद में देशभर से कुल 39 सदस्य लिये गये हैं, जिनमें 7 सदस्यों का एक कार्य दल भी शामिल है। परिषद वृद्धों की शिकायतों व तकलीफों की सुनवाई करती है और उनके सुझाव पर भी ध्यान देती है। 'एजवेल फाउण्डेशन' वृद्ध जन परिषद से ताल-मेल रखती है।

तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के जनसंख्या अध्ययन विभाग के प्रमुख कुट्टन महादेवन के अनुसार बुजुर्गों की उपेक्षा जनांकिक तथा सामाजिक व आर्थिक बदलाव का सीधा नतीजा है। भावी वृद्धों को वृद्धावस्था की त्रासदी से बचाने के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने 'ओएसिस' नामक एक परियोजना आरम्भ की है, जिसका अर्थ है— वृद्धावस्था में सामाजिक और आमदनी संबंधी सुरक्षा। यह परियोजना सरकार को ऐसे ठोस उपाय सुझाने के उद्देश्य से शुरू की गयी थी, जिनसे हर नौजवान कामगार अपनी कामकाजी जिन्दगी में इतनी बचत कर ले, जिससे बुढ़ापे में उसे गरीबी का मुँह न देखना पड़े और राज्य का बोझ भी हल्का हो। 'ओएसिस' की अन्तिम रिपोर्ट सरकार के पास विचाराधीन है। वृद्ध जनों की त्रासदी को अन्तः सरकार ने समझ लिया है। समाज कल्याण मंत्रालय की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गयी। यह पेंशन ऐसे बेसहारा लोगों को दी जाती है, जिनकी आमदनी का कोइ जरिया नहीं है। इसके अन्तर्गत दी जाने वाले 75 रुपये मासिक की राशि यों

तो बहुत कम है, फिर भी 53 लाख बुजुर्गों के जीवित रहने का यही साधन है।

केन्द्र की योजना के अतिरिक्त कई राज्य भी अपनी पेंशन योजनायें चला रहे हैं। इनके अन्तर्गत उन बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है, जिन्हें केन्द्र की ओर से पेंशन नहीं मिलती। इसकी राशि बिहार में 60 रु0 से लेकर राजस्थान में 300 रु0 मासिक तक है।

वृद्धों की सहायता के लिए माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने "अन्नपूर्णा" योजना लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत बेसहारा बुजुर्गों को हर महीने 10 किग्रा० खाद्यान्न दिया जाता है। ऐसे वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं, मगर जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, वे अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत राशन प्राप्त करने के पात्र हैं।

केन्द्र सरकार के पेंशनों और परिवार पेंशनरों की महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया गया है। हालही में परिवार पेंशन की राशि को भी बढ़ा दिया गया है। आयकर अधिनियम की धारा— 88-B , 88-D और 88-DDB के तहत वृद्ध नागरिकों को आयकर में रियायत दी जाती है।

भारतीय जीवन निगम भी अपनी बचत योजनाओं के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों को अनेक सुविधाएँ उपलब्ध कराता है।

(क) 'जीवन धारा योजना' के तहत स्वरोजगार में लगे लोगों को पेंशन दी जाती है, जब ये लोग वृद्धावस्था के कारण कमाने की स्थिति में में नहीं रहते तो उन्हें इस योजना का फायदा मिलता है।

(ख) 'जीवन अक्षय योजना' के तहत जीवन पर्यन्त पेंशन के साथ-साथ एक मुश्त लाभ देने की भी व्यवस्था है।

(ग) 'वरिष्ठ नागरिक यूनिट योजना' के अन्तर्गत उम्र के अनुसार एक निश्चित राशि जमा करनी होती है, और 58 वर्ष पूरे होने पर अपने तथा अपने जीवन साथी के लिए चुने हुए अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाती है।

(घ) 'चिकित्सा सुविधा' नाम की चिकित्सा बीमा योजना 5 से 75 वर्ष के उम्र के सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। इसके अन्तर्गत बीमा अवधि में किसी भी बीमारी या चोंट के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर व्यय दिया जाता है।

रेलवे 65 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वृद्ध नागरिकों को राजधानी, शताब्दी, एक्सप्रेस समेत सभी

रेलगाड़ियों के सभी दर्जों के किराये में 30 प्रतिशत की रियायत देती है। वृद्धों द्वारा मांगने पर निचली शायिका देने का भी प्रावधान है। इण्डियन एयर लाइन्स 65 वर्ष अधिक आयु के सभी वृद्धों को अपनी सभी घरेलू उड़ानों में 50 प्रतिशत की छूट देती है।

दण्ड प्रक्रिया—1973 की धारा 125 के तहत (शिकायत किये जाने पर) प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट सक्षम बेटे को अपने माता-पिता का भरण-पोषण करने का आदेश दे सकता है।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

वृद्धों के बारे में राष्ट्रीय नीति में यह बात स्वीकार की गयी है कि गैर-सरकारी संगठन वृद्धजनों के कल्याण के सरकार के प्रयासों में पूरक की भूमिका निभायेंगे। देश में अनेक ऐसे संगठन वृद्धजनों के कल्याण हेतु सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इनमें 'हेल्प एज इण्डिया' की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। गैर-सरकारी संगठन ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में कार्यरत हैं और स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के रूप में कार्य कर रहे हैं। वृद्धों के मूल रूप से तीन चीजों : वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ये संगठन किसी न किसी रूप में दोनों क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 'हेल्प एज इण्डिया' यह कार्य अपनी 220 परियोजनाओं के माध्यम से कर रही है। इन परियोजनाओं में पशुपालन, लघु उद्योग, वृक्षारोपण, साग-सब्जी उत्पादन, चारा-उत्पादन, मोमबत्ती और लिफाफा बनाना आदि कार्य शामिल हैं। ये गतिविधियाँ वृद्धों के लिए विशेष उपयुक्त हैं क्योंकि इनमें बहुत अधिक शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता ऐसे वृद्ध जो असहाय हैं या जिन्हें परिवारिक उपेक्षा का समाना करना पड़ रहा है उन्हें सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलायें जा रहे वृद्ध गृहों में बसेंगे मिल रहा है। हमारे देश में वृद्ध-गृहों की संख्या करीब 855 है।

निष्कर्ष एवं सुक्षाव

यह सराहनीय कार्य है कि सरकारी और गैर-सरकारी संगठन वृद्धों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं और काफी हद तक वे उनके रोटी, कपड़ा

और उनके मकान की व्यवस्था भी कर देते हैं। वृद्धाश्रमों में रह रहे बुजुर्गों का एक भावनात्मक पहलू भी है। जिस वृद्ध के बेटे, बेटियाँ जीवित हैं और सक्षम भी हैं और यदि वह वृद्ध परिजनों की उपेक्षा के कारण वृद्धाश्रम में रहने को बाध्य है तो वहाँ की सारी सुख-सुविधा के बावजूद उसके मन में एक अवयक्त वेदना सदैव व्याप्त रहती है। जिन बेटे, बेटियों के लिए युवावस्था में उसने उनके कष्ट सहे जिनको उसने अपने खून-पसीने से पाला आज यदि वे उसकी उपेक्षा करते हैं तो वह वृद्ध सदैव एक अन्तर्वेदना से पीड़ित होता रहता है। मूल आवश्यकता इस बात की है कि समाज की मानसिकता बदली जाए उसमें वृद्धजनों की सेवा का नैतिक भाव भरा जाए। अच्छा यही होगा कि वृद्धों की सेवा उनके घर में ही हो। यदि उनके बेटे, बेटियाँ गरीब हों तो वृद्धों के भरण-पोषण हेतु उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। यदि वृद्धों की सन्तानें उन्हें समुचित आदर और सम्मान के साथ रखे और श्रद्धायुक्त मन से उनकी सेवा करें तो वृद्ध जन भावनात्मक रूप से भी सन्तुष्ट और सुखी रहेंगे। जिन बुजुर्गों का दुनिया में कोई भी नहीं है वे वृद्धाश्रम में रहे, तो उन्हें उतना कष्ट नहीं होगा। अच्छा होगा कि इस जगत का नियन्ता परमेश्वर सबको सद्बुद्धि दे और सभी लोग अपने वृद्ध माता-पिता की सेवा सच्ची श्रद्धा से करें। आज का युवा वर्ग इस बात का ध्यान रखे कि यदि वे अपने माँ-बाप की उपेक्षा करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी उनके साथ भी वही व्यवहार करेगी और तब उन्हें असहायी अन्तर्वेदना झेलना पड़ेगा। अतः सभी लोग वृद्ध माता-पिता की सेवा करके समाज में एक स्वस्थ परम्परा को बनायें रखें तो वृद्धावस्था असहाय व मर्माहत नहीं होगी और हम वास्तव में सभ्य होने का गर्व कर सकेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. परिवारिक सम्बन्ध, प्रमिला वर्मा, कान्ति पाण्डेय
2. मानव विकास, डॉ नीता अग्रवाल, डॉ आकांक्षा त्रिपाठी
3. कुरुक्षेत्र